

Annexure - VIII

संख्या : 191 / XXII / 2005

देहरादून : दिनांक : 6 अगस्त 2005

समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

आप अवगत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का समयबद्ध किग्रान्वयन किया जाना है। इसी क्रम में प्रशासनिक अकादमी नैनीताल के माध्यम से प्रत्येक जनपद में संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक एक दिवसीय कार्यशाला दिनांक 23 अगस्त 2005 से 6 सितम्बर 2005 के मध्य प्रस्तावित है। कार्यक्रम की एक प्रति संलग्न हैं।

इस कार्यशाला में समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों की उपस्थित अनिवार्य होगी एवं अन्य अधिकारी प्रतिनिधि जिन्हें जिलाधिकारी आवश्यक समझेंगे कार्यशाला में आमंत्रित कर सकते हैं।

कार्यशाला का समस्त प्रशिक्षण व्यय प्रशासनिक अकादमी द्वारा वहन किया जायेगा, जनपद स्तर पर इस कार्यशाला हेतु स्थान समान्य व्यवस्था एवं समस्त प्रतिभागी अधिकारियों को कार्यक्रमानुसार उपस्थित रहने हेतु अपने स्तर पर कार्यवाही प्रारम्भ करने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोपरि

(डी.के. कोटिया)
सचिव, सूचना

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निदेशक प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय देहरादून।
4. राज्य समन्वयक, सूचना का अधिकार, टास्क फोर्स।
5. संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।

(डी.के. कोटिया)

सूचना का अधिकार
एक दिवसीय जनपद स्तरीय कार्यक्रम

क्र.सं.	जनपद	निर्धारित तिथि
1	देहरादून	23 अगस्त 2005
2	नैनीताल	24 अगस्त 2005
3	हरिद्वार	25 अगस्त 2005
4	ऊधमसिंह नगर	26 अगस्त 2005
5	रूद्रप्रयाग	27 अगस्त 2005
6	बोगेश्वर	29 अगस्त 2005
7	पौड़ी	30 अगस्त 2005
8	अल्मोड़ा	31 अगस्त 2005
9	उत्तरकाशी	1 सितम्बर 2005
10	पिथौरागढ़	2 सितम्बर 2005
11	टिहरी	3 सितम्बर 2005
12	चम्पावत	5 सितम्बर 2005
13	चमोली	6 सितम्बर 2005

4. उक्त प्रस्तर तीन में अंकित विभागों को छोड़कर शेष विभागों द्वारा प्रशिक्षण हेतु एक अधिकारी को नामित किया जायेगा। यह अधिकारी द्वितीय बैच में दिनांक 19-20 अगस्त 2005 को प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

जैसा कि उक्त शासनादेश दिनांक 30 जुलाई 2005 में उल्लेख है, इन मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात लोक प्राधिकारियों के लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपील अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। मास्टर ट्रेनर्स के लिये अधिकारियों को नामित करने समय कृपया इसका ध्यान अवश्य रखा जाय।

अनुरोध है कि उक्तानुसार प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों को नामित करने का कष्ट करें तथा इन अधिकारियों को यह भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे उक्त कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण हेतु उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल में (प्रथम बैच, दिनांक 16 अगस्त 2005 को प्रातः 10 बजे तक तथा द्वितीय बैच दिनांक 19 अगस्त 2005 को प्रातः 10 बजे तक) पहुंच जायें। अधिकारियों के ठहरने, भोजन आदि की व्यवस्था उत्तरांचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा नैनीताल क्लब में कराया जाना प्रस्तावित है।

कृपया उक्तानुसार अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु नामित करने हुये आदेश की एक प्रति उत्तरांचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल तथा एक प्रति सूचना विभाग में भिजवाने का कष्ट करें।

(डी.के. कोटिया)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. श्री राकेश शर्मा, निदेशक, उत्तरांचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
3. श्री बी.एम. हर्बोला, संयुक्त निदेशक, उत्तरांचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल।

(डी.के. कोटिया)
सचिव